को नहीं मिली अग्रिम राहत

याचिका खारिज

- पुनीत भार्गव ने एक एकड़ जमीन 1.78 करोड़ रुपए में खरीदी थी
- दो महीने बाद जमीन को कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बेच दी थी

रांची, संवाददाता। बरियातू रोड के चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े में संलिप्त पुनीत भार्गव को ईडी कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है।

सासाराम निवासी पुनीत भार्गव ने ही चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन 1.78 करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसके लिए उसने 25 लाख वैध और शेष राशि अवैध रूप से भुगतान किया था। दो महीने बाद प्रेम प्रकाश के कहने पर उसी जमीन को कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बेच दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि आरोपी पर मामले में प्रोसिड्स ऑफ क्राइम पाया गया है। राजेश राय ने मो. सद्दाम हुसैन, अफसर अली और अन्य की मिलीभगत से 1948 का एक जाली दस्तावेज तैयार किया था और उसके आधार पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी ली। इम्तियाज अहमद और भरत प्रसाद द्वितीय पक्ष बना। दूसरे साथी लखन सिंह ने रिकॉर्ड की पुष्टि की।

इसके बाद जमीन को बेचा गया था। इसमें पुनीत भार्गव अपनी आय को छिपाने में एक अन्य आरोपी के साथ शामिल था। जबकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रेम प्रकाश के समर्थन पर उसने सत्यापन के बाद जमीन खरीदी थी। वह मामले में निर्दोष है। दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। उसने 19 अप्रैल को याचिका दाखिल की थी।

पृथ्वी है जीवन का मूल इसकी रक्षा न जाना भूल

NAVEEN KUMAR

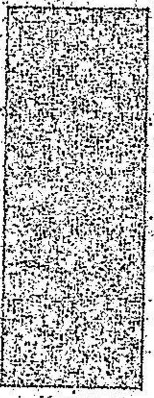

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय जीवन बीमा निगम

कार्यालय सेवा विभाग, जमशेदपुर मंडल कार्यालय
जीवन प्रकाश बिल्डिंग, मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर-831001
फोन नं.: 0657-2321047, ईमेल: os.jamshedpur@licindia.com

सूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय जमशेदपुर सुदृढ वित्तीय क्षमता और कम से कम किसी सरकारी, सार्वजनिक या प्रतिष्ठित उपक्रम में तीन वर्ष कार्य का अनुभव वाले प्रतिष्ठित लाइसेंसधारी संगठनों से मंडल कार्यालय जमशेदपुर एवं इसके अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालयों एवं सेटेलाईट कार्यालयों में 1) सुरक्षा सेवा, 2) ऑफिस ब्वाय सेवा के लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित करता है। वैसे निविदाकर्ता जो उपरोक्त योग्यता रखते हैं, वे निविदा पत्र एवं अन्य जानकारी हेतु हमारे वेबसाईट www.licindia.in/tenders पर लॉग इन कर इस लिंक पर क्लिक करें 1. Advertisement for Security Service Provider at Jamshedpur, 2. Advertisement for Office Boy Service at Jamshedpur। सुरक्षा सेवा एवं ऑफिस ब्वाय सेवा के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.05.2024 क्रमशः अपराह्न 3.00 बजे तक एवं 4.00 बजे तक है।

भारतीय जीवन बीमा निगम किसी भी प्रस्ताव अथवा सभी प्रस्तावों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक

[illegible]

[illegible] नहीं मिली। इससे [illegible] है।

प्रदेश जदयू [illegible] की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष [illegible] सांसद खीरू महतो ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड में हमारा भाजपा के साथ कोई एलायंस नहीं है, जब यहां चुनाव लड़ते तभी एलायंस होता। हालांकि बिहार में भाजपा-जदयू के बीच एलायंस है, इसलिए पार्टी झारखंड में एनडीए गठबंधन के लिए काम करेगी।

लोस चुनाव को लेकर आदिवासी संगठनों की बैठक

रांची। लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को आदिवासी सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। आयोजन करम टोली स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया में किया गया। इसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय सरना समिति, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद, आदिवासी जनपरिषद, आदिवासी लोहरा समाज जैसे कई संगठनों ने शिरकत की। बैठक में विशेष रूप से रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय व पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय शामिल हुए।

सीएम ने जनता के सामने रखा सवाल

रांची। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने देश में हो रहे निर्विरोध चुनाव को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति से जुड़े बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई। उन्होंने लोगों के सामने सवाल रखा है कि क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे?